संख्या-29/2021/2056/77-6-2021-6002(099)/3/2021

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 27 सितम्बर, 2021

विषय- पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु रू.1,97,61,000.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0वित्तीय निगम के पत्रांक-1068/वि0नि0/वियोवि/मुख्या0/2020-21 दिनांक 16.03.2021 एवं पत्रांक 231/वि0नि0/वियोवि/मुख्या0/2021-22 दिनांक 07.07.2021 द्वारा पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 हेतु पात्र औद्योगिक इकाईयों को पूंजीगत ब्याज उपादान वितरित करन हेतु प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष समेकित रूप से रू.1,97,61,000.00 (रूपया एक करोड़ सतानवे लाख इकसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। पात्र इकाईयों का विवरण निम्नवत हैं:-

क्रमांक	इकाई का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत धनराशि
1	मे0 अकैको इण्ड0प्रा0 लि0 कानपुर देहात।	2019-20	1470000.00
2	मे0 पावरकॉन सीमेंण्ट प्रा0लि0 चन्दौली।	2017-18	1603000.00
3	मे0 मॉ महामाया एलायज प्रा0लि0 मिर्जापुर	2015-16	1569000.00
4	मे0 कुनाल रेमिडीज प्रा0लि0 लखनऊ।	2019-20	2460000.00
5	मे0 एस0डी0 इन्टरनेशनल प्रा0 लि0, गोरखपुर।	2013-14	1579000.00
	तदैव	2014-15	1269000.00
	तदैव	2015-16	1010000.00
6	मे0 बन्सल टी प्रोडक्टस प्रा0लि0 कानपुर	2018-19	30000.00
7	मे0 लि0 मैक एक्सपोर्ट प्रा0लि0 कानपुर।	2019-20	537000.00
8	मे0 विकास सारटेक्स इण्डस्ट्रीज, कानपुर	2018-19	247600.00
9	मे0 विकास सारटेक्स इण्डस्ट्रीज, कानपुर	2019-20	105000.00
10	मे0 एस0एस0 प्लास्ट, गोरखपुर	2015-16	790000.00
	तदैव	2016-17	585000.00
	तदैव	2017-18	660000.00
	तदैव	2018-19	479000.00
	तदैव	2019-20	122000.00
11	मे0 पीएसवीटी इन्स्ट्रीज प्रा0लि0 लखनऊ	2015-16	419000.00
12	तदैव	2016-17	505000.00
13	तदैव	2017-18	381000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

14	मे0 कुसुम प्लास्टिक्स गोरखपुर	2013-14	23800.00
	तदैव	2014-15	364000.00
	तदैव	2015-16	392600.00
	तदैव	2016-17	341000.00
	तदैव	2017-18	253000.00
15	मे0 के डी एम स्टील्स खलीलाबाद संतकबीर नगर	2015-16	1466000.00
	तदैव	2016-17	1100000.00
			कुल- रू. 1,97,61,000.00
			(रूपया एक करोड़ सत्तानवे लाख इकसठ हजार मात्र)

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक नीति-2012 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू.306.52 करोड़(रूपये तीन सौ छः करोड बावन लाख मात्र) के सापेक्ष कुल धनराशि रू.1,97,61,000.00 (रूपया एक करोड़ सत्तानवे लाख इकसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का भुगतान संबंधित इकाई के बैंक खाते में ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से सीधे किया जायेगा।
2. किसी भी परिस्थति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त/बैंक खाते/किसी अन्य खाते में नहीं रखा जाएगा।
3. स्वीकृति धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार ही किया जाएगा।
5. यह धनराशि उन पात्र इकाईयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो शासनादेश संख्या-1415/77-6-12-08(एम)/12टी.सी.-V दिनांक 30.11.2012 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।
6. यह धनराशि ऐसी पात्र इकाईयों, जिनका प्रत्यावेदन उ0प्र0वित्तीय निगम में प्राप्त हो या आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदन के यथाक्रम में वरीयतानुसार आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा किया जाएगा।
8. स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. उ0प्र0 वित्तीय निगम धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व इकाईयों की पात्रता तथा प्रस्तुत आगणन का परीक्षण करते हुए देय सब्सिडी की धनराशि की शुद्धता सुनिश्चित कर ली जाएगी तथा उ0प्र0वित्तीय निगम द्वारा इस आशय की आख्या आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग को उपलब्ध करायी जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा रखा जाएगा।
11. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबंध निदेशक, उ0प्र0वित्तीय निगम द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग कानपुर के माध्यम से शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-6/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा।
12. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय, (क्रमशः)-60-अन्य, (क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन, 27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0 संख्या- ई-6-1226-दस-2021-2022 दिनांक 22.09.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

संख्या-29/2021/2056/77-6-2021-6002(099)/3/2021,तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम को उनके पत्रांक-1068/वि0नि0/वियोवि/मुख्या0/2020-21 एवं पत्रांक 231/वि0नि0/वियोवि/मुख्या0/2021-22 दिनांक 07.07.2021 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशलय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
7. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
8. नियोजन अनुभाग-1/4
9. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।